संख्या-5/2021/2897/सैंतीस-2-2020-1(46)/03

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-06 जनवरी, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 के अधीन बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-55/सात-3/कुक्कुट/बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम/2020-21, दिनांक-17.12.2020 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-57/2020/1888/सैंतीस-2-2020-1(46)/03, दिनांक-04.09.2020 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-06-अनुसूचित जातियों के लिए बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम' के मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष जनपद अमेठी एवं झाँसी में आपूर्ति किये गये चूजों की धनराशि क्रमशः रू0-2.45 लाख एवं रू0-2.45 लाख की लम्बित देनदारियों के भुगतान हेतु कुल रू0-4.90 लाख (रूपये चार लाख नब्बे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना के मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाइडलाइन्स) के अनुरूप करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी मद/कार्य हेतु किया जायेगा तथा मानक मद से विचलन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
4. प्रश्नगत योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र लाभार्थियों हेतु ही किया जायेगा व व्यय उपरान्त शासन को उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
5. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य/मद हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।
6. लाभार्थी को धनराशि उनके बैंक/डाकघर खाते में ही उपलब्ध करायी जायेगी। किसी भी दशा में धनराशि का भुगतान नकद नहीं किया जायेगा।
7. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-24.03.2020, 07.04.2020, 11.04.2020 एवं दिनांक-18.05.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा शासनादेश दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग एतद्विषयक शासकीय दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-06-अनुसूचित जातियों के लिए बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-06/दस-2021, दिनांक-04.01.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-5/2021/2897(1)/सैंतीस-2-2020- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/एन.आई.सी./गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in